फाइल सं. 17-31/2016-जीडीएस

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

डाक भवन,संसद मार्ग,

नई दिल्ली -11001

दिनांक 06.12.2019

सेवा में,

**सभी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/पोस्ट मास्टर जनरल,**

**विषय - कमलेश चन्द्र कमेटी की सिफारिशों के अनुसार जारी किए कार्यालय ज्ञापनों का हिन्दी अनुवाद ।**

**कमलेश चन्द्र कमेटी की सिफारिशों के अनुसार जारी किए गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापनों के हिन्दी अनुवाद की प्रतियों सभी संबंधित को परिचालित करने हेतु प्रेषित हैं :-**

1. ग्रामीण डाक सेवकों की सभी श्रेणियों के लिए किसी कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 5 'आकस्मिक' (एमरजेंसी) अवकाश की सुविधा की शुरूआत । (कार्यालय ज्ञा.सं. 17-31/2016-जीडीएस दिनांक 01.02.2019)

2. ग्रामीण डाक सेवकों के पदों पर नियोजन हेतु संशोधित पात्रता मानदण्ड । (कार्यालय ज्ञा.सं. 17-02/2018-जीडीएस दिनांक 22.03.2019)

3. ग्रामीण डाक सेवकों की सभी श्रेणियों के लिए ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावली के नियम 9 (लघु एवं दीर्घ शास्तियां) में निर्दिष्ट अनुशासनिक पहलुओं पर कमलेश चन्द्र समिति की अनुमोदित सिफारिशों का कार्यान्वयन । (कार्यालय ज्ञा.सं. 17-31/2016-जीडीएस दिनांक 23.04.2019)

4. ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की सभी श्रेणियों के लिए जीडीएस (आचरण एवं नियोजन) नियमावली के नियम 10 (लघु एवं दीर्घ शास्तियां लगाए जाने हेतु अलग प्रक्रिया आरंभ करना) में विनिर्दिष्ट अनुशासनिक पहलुओं पर कमलेश चन्द्र समिति की अनुमोदित सिफारिशों का कार्यान्वयन । (कार्यालय ज्ञा.सं. 17-31/2016-जीडीएस दिनांक 07.05.2019)

5. किसी चयनित उम्मीद्वार द्वारा उसे नियुक्ति हेतु पहले प्रस्तावित पद का कार्यभार ग्रहण कर लेने पर, अन्य ग्रामीण डाक सेवक पदों के लिए किसी अन्य विकल्प से उसकी उम्मीद्वारी निरस्त करने के संबंध में । (कार्यालय ज्ञा.सं. 17-35/2018-जीडीएस दिनांक 22.07.2019)

6. ग्रामीण डाक सेवकों की श्रेणियों को युक्तिसंगत बनाए जाने हेतु ग्रामीण डाक सेवक समिति की अनुमोदित सिफारिशों का कार्यान्वयन । (कार्यालय ज्ञा.सं. 17-31/2016-जीडीएस दिनांक 22.07.2019)

7. शाखा डाकघरों की कार्यावधि को युक्तिसंगत बनाए जाने हेतु ग्रामीण डाक सेवक समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन । (कार्यालय ज्ञा.सं.17-31/2016-जीडीएस दिनांक 29.07.2019)

8. विभागीय पदों पर कार्यरत ग्रामीण डाक सेवकों पर कमलेश चन्द्र समिति की अनुमोदित सिफारिशों का कार्यान्वयन, ऐसी अवधि को, वार्षिक वृद्धि सहित सभी प्रयोजनों के लिए अनिवार्यत: अर्हक सेवा अवधि के तौर पर गिना जाएगा । (कार्यालय ज्ञा.सं.17-31/2016-जीडीएस दिनांक 07.08.2019)

9. जीडीएस के पद से समय-पूर्व त्यागपत्र दिए जाने के मामलें में कमलेश चन्द्र समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन । (कार्यालय ज्ञा.सं.17-31/2016-जीडीएस दिनांक 16.08.2019)

10. नियम 10 के तहत और अन्य अनुशासनिक मामलों की संख्या को सीमित करने के संबंध में ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन । (कार्यालय ज्ञा.सं. 17-31/2016-जीडीएस दिनांक 16.09.2019)

11. ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) के लिए संतान शिक्षा सुविधा भत्ता शुरू करने पर एकल सदस्यीय समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में । (कार्यालय ज्ञा.सं. 17-31/2016-जीडीएस दिनांक 18.09.2019)

**यदि उपरोक्त हिन्दी कार्यालय ज्ञापनों में किसी प्रकार की विसंगति के मामलें में, अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा ।**

**(एस.बी.व्यवहारे)**
**सहायक महा-निदेशक**
**(जीडीएस/पीसीसी)**

प्रतिलिपि प्रेषित -

**महाप्रबंधक सीईपीटी मैसूर को भारतीय डाक की वेबसाइट पर उपरोक्त आदेशों का अपलोड करने हेतु ।**

सं. 17-31/2016-जीडीएस
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(जीडीएस अनुभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग
नई दिल्ली-110001
दिनांक : 01.02.2019

**अनुशेष**

**विषय : ग्रामीण डाक सेवकों की सभी श्रेणियों के लिए किसी कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 5 'आकस्मिक' (एमरजेंसी) अवकाश की सुविधा की शुरुआत।**

अधोहस्ताक्षरी को, इस निदेशालय के दिनांक 02.01.2019 के समसंख्यक का.ज्ञा. का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवकों की सभी श्रेणियों के लिए, किसी कैलेण्डर वर्ष के दौरान अधिकतम 5 दिन के 'आकस्मिक' (एमरजेंसी) अवकाश की व्यवस्था करने संबंधी अनुदेश जारी किए गए थे।

2. इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 02.01.2019 के उपरोक्त का.ज्ञा. के पैरा 2(vii) को निम्नानुसार संशोधित किया जाए :-

i. शाखा पोस्टमास्टरों के मामले में, आकस्मिक (एमरजेंसी) अवकाश की पूर्व-स्वीकृति संबंधित डिवीजन प्रमुख से प्राप्त करनी होगी। इसी प्रकार, सहायक शाखा पोस्टमास्टर/डाक सेवक के मामले में आकस्मिक अवकाश की पूर्व-स्वीकृति वरिष्ठ पोस्टमास्टर/पोस्टमास्टर/उप डिवीजनल प्रमुख/एचआरओ/एसआरओ/एसपीएम से प्राप्त करनी होगी।

3. अनुरोध है कि उपरोक्त अनुदेश सर्वसंबंधितों को परिचालित किया जाए और सुनिश्चित करें कि इनका कड़ाई से पालन किया जाए।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(एस.बी.व्यवहारे)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)
टेलीफोन नं. 011-23096629
ई-मेल : adggds@indiapost.gov.in

प्रति अग्रेषित :- अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

**सं. 17-02/2018-जीडीएस**
**भारत सरकार**
**संचार मंत्रालय**
**(जीडीएस अनुभाग)**

**डाक भवन, संसद मार्ग,**
**नई दिल्ली-110001**
**दिनांक: 22.03.2019**

सेवा में,

सभी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/पोस्टमास्टर जनरल

विषय : ग्रामीण डाक सेवकों के पदों पर नियोजन हेतु संशोधित पात्रता मानदण्ड।

मुझे आपका ध्यान महानिदेशक डाक के समसंख्यक आदेश दिनांक 08.03.2019 की ओर आकर्षित करने तथा यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जीडीएस के पदों पर नियोजन हेतु संशोधित पात्रता मानदण्डों के पैरा x के स्थान पर निम्नलिखित पैरा को रखा जाए :-

(i) जैसाकि निदेशालय के आदेश संख्या 17-31/2016-जीडीएस दिनांक 25.06.2018 में उल्लेख किया गया है, जीडीएस की विभिन्न श्रेणियों को निम्नलिखित न्यूनतम टीआरसीए दिया जाएगा:-

कार्य के घंटे/स्तर के अनुसार जीडीएस की सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम टीआरसीए

| क्र. सं. | श्रेणी | 4 घंटे / स्तर-I के लिए न्यूनतम टीआरसीए | 5 घंटे / स्तर-2 के लिए न्यूनतम टीआरसीए |
|---|---|---|---|
| 1. | बीपीएम | 12,000/- रु. | 14,500/- रु. |
| 2. | एबीपीएम / डाक सेवक | 10,000/- रु. | 12,000/- रु. |

(ii) तथापि, 01.07.2018 को अथवा इसके बाद नियोजित किए गए ग्रामीण डाक सेवकों के संबंध में, टीआरसीए का आरंभिक निर्धारण, संबंधित श्रेणी के स्तर-I के पहले चरण पर किया जाएगा।

2. उपरोक्त आवश्यक संशोधनों को अधिसूचना के मसौदे और संशोधित पात्रता मानदण्डों में शामिल किया जाए।

भवदीय,

(एस. बी. व्यवहारे)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)
दूरभाष: 011-23096629
ई-मेल: adggds@indiapost.gov.in

प्रतिलिपि प्रेषित :

अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

सं. 17-31/2016-जीडीएस
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(जीडीएस अनुभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग
नई दिल्ली-110001
दिनांक : 23.04.2019

**कार्यालय ज्ञापन**

विषय : ग्रामीण डाक सेवकों की सभी श्रेणियों के लिए ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावली के नियम 9 (लघु एवं दीर्घ शास्तियां) में निर्दिष्ट अनुशासनिक पहलुओं पर कमलेश चंद्र समिति की अनुमोदित सिफारिशों का कार्यान्वयन।

अधोहस्ताक्षरी को, जीडीएस (आचरण एवं नियोजन) नियमावली, 2011 के नियम 9 में निर्दिष्ट लघु एवं दीर्घ शास्तियों के संबंध में 14 जनवरी, 2015 के पत्र सं. 17-39/2/2012-जीडीएस का संदर्भ देने का निदेश हुआ है।

2. ग्रामीण डाक सेवकों से संबंधित अनुशासनिक पहलुओं (लघु एवं दीर्घ शास्तियों) पर कमलेश चंद्र समिति की अनुमोदित सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तथा ग्रामीण डाक सेवकों के संदर्भ में लघु एवं दीर्घ शास्तियों से संबंधित सभी पूर्व आदेशों के अधिक्रमण में, सक्षम प्राधिकारी ने जीडीएस की सभी श्रेणियों के लिए जीडीएस (आचरण एवं नियोजन) नियमावली, 2011 के नियम 9 में निर्दिष्ट लघु एवं दीर्घ शास्तियों में निम्नलिखित संशोधन अनुमोदित किए हैं :-

**"9. शास्तियों के प्रकार**

"उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण होने पर, जैसाकि इसमें इसके पश्चात् उल्लेख किया गया है, भर्ती प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शास्तियां अधिरोपित की जा सकती हैं, नामतः :-

**लघु शास्तियां**

i. परिनिन्दा
ii. किसी ग्रामीण डाक सेवक को, अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए मल्टी टास्किंग स्टाफ और/अथवा पोस्टमैन और/अथवा मेल गार्ड के पद की भर्ती परीक्षा में शामिल होने और/अथवा डाक सहायक/छंटाई सहायक के रूप में भर्ती हेतु विचार किए जाने से डी-बार किया जाना।
iii. किसी ग्रामीण डाक सेवक को अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए चयन-सह-वरिष्ठता आधार पर मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद पर भर्ती हेतु विचार किए जाने से डी-बार किया जाना।
iv. आदेशों की उपेक्षा अथवा उल्लंघन किए जाने के कारण सरकार को हुए वित्तीय नुकसान की पूरी राशि अथवा उसके किसी भाग की, समय संबद्ध निरंतरता भत्ते (टीआरसीए) से वसूली।

v. अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए असंचयी प्रभाव से समय संबद्ध निरंतरता भत्ते में होने वाली वार्षिक वृद्धि पर रोक।

**<u>दीर्घ शास्तियां</u>**

vi. तीन वर्ष से अधिक की निर्धारित अवधि (स्थायी तौर पर नहीं) के लिए टीआरसीए स्लैब में एक चरण की कटौती इन अनुदेशों के साथ कि इस कटौती की अवधि के दौरान, ग्रामीण डाक सेवक वेतन वृद्धि अर्जित करेगा अथवा नहीं और क्या इस अवधि की समाप्ति पर, उक्त कटौती का प्रभाव समय संबद्ध निरंतरता भत्ते (टीआरसीए) की भावी वृद्धि पर पड़ेगा या नहीं।

vii. नियोजन से अनिवार्य सेवा मुक्ति, महानिदेशक डाक के का.ज्ञा. सं. 17-31/2016-जीडीएस दिनांक 27 जून, 2018 में निर्धारित शर्तों के अनुसार, आर्थिक लाभ (अर्थात् सेवा मुक्ति हितलाभ योजना आदि) और ग्रामीण डाक सेवक के नियोजन की अवधि के अनुरूप जीडीएस ग्रेच्युटी (उपदान) के भुगतान सहित।

viii. नियोजन से हटाया जाना, जोकि भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगा।

ix. नियोजन से बर्खास्तगी, जो सामान्यत: भावी नियोजन हेतु निरर्हता होगी।

टिप्पणी : नियम 9(iv) के अंतर्गत बिना किसी शर्त के पूरी वसूली की शास्ति अधिरोपित की जा सकती है।"

3. उपरोक्त अनुदेश इस का.ज्ञा. के जारी होने की तिथि से लागू होंगे।

(एस.बी.व्यवहारे)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)
टेलीफोन नं. 011-23096629
ई-मेल : adggds@indiapost.gov.in

प्रति अग्रेषित :- अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

**सं. 17-31/2016-जीडीएस**

**भारत सरकार**

**संचार मंत्रालय**

**डाक विभाग**

**(जीडीएस अनुभाग)**

**डाक भवन, संसद मार्ग,**
**नई दिल्ली-110001**
**दिनांक: 07.05.2019**

**कार्यालय ज्ञापन**

विषय: ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की सभी श्रेणियों के लिए जीडीएस (आचरण एवं नियोजन) नियमावली के नियम 10 (लघु एवं दीर्घ शास्ति लगाए जाने हेतु अलग प्रक्रिया आरंभ करना) में विनिर्दिष्ट अनुशासनिक पहलुओं पर कमलेश चन्द्र समिति की अनुमोदित सिफारिशों का कार्यान्वयन।

अधोहस्ताक्षरी को ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावली, 2011 के नियम 10 में विनिर्दिष्ट शास्ति लगाए जाने की प्रक्रिया के संबंध में जीडीएस नियमावली के नियम 10 का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. ग्रामीण डाक सेवकों पर लघु एवं दीर्घ शास्ति लगाए जाने की अलग प्रक्रिया आरंभ करने के संबंध में कमलेश चन्द्र समिति की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत तथा ग्रामीण डाक सेवकों पर शास्ति लगाने की प्रक्रिया के संबंध में सभी पूर्व आदेशों के अधिक्रमण में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जीडीएस (आचरण एवं नियोजन) नियमावली, 2011 के नियम-10, जिसमें ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की सभी श्रेणियों पर लघु और दीर्घ शास्ति लगाए जाने की संशोधित प्रक्रिया दी गई है, में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:-

**क. लघु शास्ति लगाने की प्रक्रिया :-**

(i) जीडीएस पर नियम 9 के खंड (i) से (v) में निर्दिष्ट शास्तियों में से कोई भी शास्ति लगाए जाने संबंधी आदेश तभी जारी किया जाएगा जब :-

क) ग्रामीण डाक सेवक को, उनके विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में तथा वह आरोप जिसके लिए यह कार्रवाई प्रस्तावित है, के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया हो तथा उसे अभ्यावेदन प्रस्तुत करने, यदि वह चाहे, का अवसर प्रदान किया गया हो; और

ख) ऐसे अभ्यावेदन, यदि कोई हो, को नियोजन प्राधिकारी द्वारा ध्यान में रखा गया है।

**ख. दीर्घ शास्ति लगाए जाने की प्रक्रिया :-**

(i) किसी जीडीएस कार्मिक पर नियम 9 के खंड (vi) से (ix) में उल्लखित कोई भी शास्ति अधिरोपित किए जाने संबंधी आदेश तब तक नहीं जारी किए जाएंगे, जब तक कि :-

क) उक्त ग्रामीण डाक सेवक को, उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई संबंधी प्रस्ताव सहित उन आदेशों का विवरण, जिनके आधार पर कार्रवाई की जानी अपेक्षित है, लिखित में प्रदान कर उसे अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान न कर दिया जाए और

ख) ऐसे अभ्यावेदन को, यदि कोई हो, पर नियोजन प्राधिकारी द्वारा विचार न कर लिया गया है।

परन्तु यह तब जबकि दीर्घ शास्ति तब तक नहीं लगाई जाएगी, जब तक जांच आयोजित कर उन पर लगाए गए आरोपों के संबंध में, उन्हें सूचित न कर दिया गया हो और उन आरोपों के संबंध में उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो:

परन्तु यह और कि ऐसी जांच के पश्चात, उन पर ऐसी कोई शास्ति लगाना प्रस्तावित किया गया हो, तो ऐसी शास्ति, जांच के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर ही लगाई जाए।

**ग) कार्यवाही के रिकॉर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे:-**

i) जीडीएस को, उसके विरुद्ध कार्रवाई करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना की एक प्रति;
ii) उन्हें प्रदान की गई आरोपों के विवरण की एक प्रति, उससे संबंधित साक्ष्यों की सूची की एक प्रति सहित;
iii) उनका अभ्यावेदन, यदि कोई हो;
iv) जांच कार्यवाही के रिकॉर्ड के साथ-साथ उस नियोजन प्राधिकारी अथवा जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट, यदि कोई हो, जिसे उस मामले में नियुक्त किया गया है जिस मामले में औपचारिक जांच अनिवार्य हो,
v) जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर सेवक का अभ्यावेदन, यदि कोई हो;
vi) आरोपों के संबंध में नियोक्ता प्राधिकारी के निष्कर्ष;
vii) शास्ति आदेश;

घ) उन मामलों में भी जांच आयोजित की जानी चाहिए जिनमें नियोजन प्राधिकारी द्वारा दीर्घ शास्ति लगाई जानी है, चाहे ग्रामीण डाक सेवक ने उस पर लगाए गए आरोपों को स्वीकार भी कर लिया है। फिर ऐसे मामलों में जांच आयोजित किए जाने का उद्देश्य मुख्यत: ग्रामीण डाक सेवक को, अपने बचाव के पर्याप्त अवसर दिए जाना है। यदि वह, उस पर लगाए गए आरोप को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लेता है, तो स्पष्टत: दीर्घ शास्ति लगाए जाने हेतु जांच आयोजित किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

ड.) सामान्यत:, ग्रामीण डाक सेवक पर लघु शास्ति लगाए जाने के लिए जांच आयोजित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, जिन मामलों में नियम 10 के अंतर्गत लघु शास्ति लगाई जानी है और अनुशासनिक/नियोजन प्राधिकारी को अपचारी ग्रामीण डाक सेवक से अनुरोध प्राप्त होता है तो अनुशासनिक प्राधिकारी अपने विवेकानुसार यह निर्णय ले सकता है कि जांच आयोजित की जाए अथवा नहीं। इस नियम का आशय यह है कि अपचारी जीडीएस द्वारा उस पर लगाए गए कदाचार एवं दुर्व्यवहार के आरोपों के विवरण के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, अनुशासनिक/नियोजन प्राधिकारी द्वारा सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों के साथ-साथ विस्तृत जांच हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन में दिए गए कारणों पर विचार करते हुए निर्णय लिया जाए कि इस मामले में विस्तृत जांच की आवश्यकता है अथवा नहीं। जिस मामले में अपचारी जीडीएस ने कतिपय दस्तावेजों की जांच और अभियोजन साक्षियों के प्रति-प्रशिक्षण का अनुरोध किया है, वहां अनुशासनिक/नियोजन प्राधिकारी इस अनुरोध पर ज्यादा ध्यानपूर्वक विचार करेंगे और उस अनुरोध को मात्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं करेंगे कि जांच अनिवार्य नहीं है। यदि रिकॉर्ड यह दर्शाते हैं कि अपचारी जीडीएस द्वारा उल्लिखित मदों के बावजूद, अनुशासनिक/नियोजन प्राधिकारी, सम्यक विचार करने पर इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जांच की आवश्यकता नहीं है, तो जांच के अनुरोध को सीधे तौर पर अस्वीकार करने के बजाए, इसके कारण बताते हुए ऐसा लिखित रूप में बताया जाए कि उन्होंने इस अनुरोध पर विचार कर लिया है, अन्यथा ऐसी कार्रवाई नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध मानी जाएगी।

3. उक्त अनुदेश, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी किए जाने की तिथि से कार्यान्वित होंगे।

(एस. बी. व्यवहारे)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)
टेली. 011-23096629
ई-मेल-adggds@indiapost.gov.in

प्रति अग्रेषित :-

अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

**सं. 17-35/2018-जीडीएस**

**भारत सरकार**

**संचार मंत्रालय**

**डाक विभाग**

**(जीडीएस अनुभाग)**

**डाक भवन, संसद मार्ग,**
**नई दिल्ली-110001**
**दिनांक: 22.07.2019**

सेवा में,

सभी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/पोस्टमास्टर जनरल
महाप्रबंधक, सीईपीटी मैसूरू/सीईपीटी यूनिट, हैदराबाद

विषय:- किसी चयनित उम्मीदवार द्वारा उसे नियुक्ति हेतु पहले प्रस्तावित पद का कार्यभार ग्रहण कर लेने पर, अन्य ग्रामीण डाक सेवक पदों के लिए किसी अन्य विकल्प से उसकी उम्मीदवारी निरस्त करने के संबंध में।

यह, ग्रामीण डाक सेवकों के लिए ऑनलाइन नियोजन प्रक्रिया के द्वितीय चक्र में किसी चयनित उम्मीदवार द्वारा उसे नियुक्ति हेतु पहले प्रस्तावित पद का कार्यभार ग्रहण कर लेने पर, अन्य ग्रामीण डाक सेवक पदों के लिए किसी अन्य विकल्प से उसकी उम्मीदवारी निरस्त करने के संबंध में है।

2. सीईपीटी यूनिट, हैदराबाद ने अपने पत्र सं. ईडीपी/सीईपीटी/ एचवाईडी/ जीडीएस ऑनलाइन/साईकिल।।/2019-20 दिनांक 04.07.2019 के अंतर्गत, निदेशालय से ग्रामीण डाक सेवकों के लिए ऑनलाइन नियोजन प्रक्रिया के द्वितीय चक्र में किसी चयनित उम्मीदवार द्वारा उसे नियुक्ति हेतु पहले प्रस्तावित पद का कार्यभार ग्रहण कर लेने पर, अन्य ग्रामीण डाक सेवक पदों के लिए किसी अन्य विकल्प से उसकी उम्मीदवारी निरस्त करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। नियुक्ति हेतु पहले प्रस्तावित किसी जीडीएस पद पर

कार्यभार ग्रहण करने पर, जीडीएस ऑनलाइन नियोजन सॉफ्टवेयर/पोर्टल पर चयनित उम्मीदवारों की, संबंधित सर्कल के लिए शेष विकल्पों के लिए उम्मीदवारी स्वत: ही निरस्त हो जानी चाहिए।

3. सर्कल किसी चयनित उम्मीदवार द्वारा उसे नियुक्ति हेतु पहले प्रस्तावित किसी जीडीएस पद पर कार्यभार ग्रहण करने संबंधी रिपोर्ट, सीईपीटी को शीघ्र भेज दे। जीडीएस ऑनलाइन नियोजन प्रक्रिया चक्र ।। के दिशानिर्देशों के अनुसार, सीईपीटी द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और चयनित उम्मीदवार को प्रदान किए गए पद का कार्यभार ग्रहण करने की रिपोर्ट संबंधित सर्कल से प्राप्त होने पर इन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त की जाए।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(एस. बी. व्यवहारे)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)
दूरभाष : 011-23096629
Email- adggds@indiapost.gov.in

सं. 17-31/2016-जीडीएस

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(जीडीएस अनुभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग

नई दिल्ली-110001

दिनांक : 22.07.2019

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय : ग्रामीण डाक सेवकों की श्रेणियों को युक्तिसंगत बनाए जाने हेतु ग्रामीण डाक सेवक समिति की अनुमोदित सिफारिशों का कार्यान्वयन।**

अधोहस्ताक्षरी को, ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) समिति की रिपोर्ट की अनुमोदित सिफारिशों के पैरा 3.31 तथा ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावली, 2011 के नियम 3(घ) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है।

2. ग्रामीण डाक सेवकों की श्रेणियों को युक्तिसंगत बनाए जाने हेतु ग्रामीण डाक सेवक समिति की अनुमोदित सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावली, 2011 के नियम 3(घ) में निम्नलिखित संशोधनों को अनुमोदित किया है :-

"**ग्रामीण डाक सेवक**" से तात्पर्य है :-

i. शाखा पोस्टमास्टर
ii. सहायक शाखा पोस्टमास्टर
iii. डाक सेवक

टिप्पणी I : शाखा पोस्टमास्टर (बीपीएम) से इतर वे ग्रामीण डाक सेवक, जो शाखा डाकघर में कार्यरत हैं, "**सहायक शाखा पोस्टमास्टर (एबीपीएम)**" के रूप में नामोद्दिष्ट होते हैं।

टिप्पणी ।। : शाखा पोस्टमास्टर (बीपीएम) से इतर वे ग्रामीण डाक सेवक, जो विभागीय डाकघरों/आरएमएस डाकघरों/अन्य कार्यालयों में कार्यरत हैं, "**डाक सेवक**" के रूप में नामोद्दिष्ट होते हैं।

3. उपरोक्त अनुदेश, निदेशालय के दिनांक 25 जून, 2018 के समसंख्यक का.ज्ञा. के संदर्भ में, दिनांक 01.07.2018 से लागू होंगे।

(एस.बी.व्यवहारे)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)
टेलीफोन नं. 011-23096629
ई-मेल : adggds@indiapost.gov.in

प्रति अग्रेषित :- अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

सं. 17-31/2016-जीडीएस

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(जीडीएस अनुभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग

नई दिल्ली-110001

दिनांक : 29.07.2019

सेवा में,

सभी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल

**विषय : शाखा डाकघरों की कार्यावधि को युक्तिसंगत बनाए जाने हेतु ग्रामीण डाक सेवक समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन।**

अधोहस्ताक्षरी को, ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन एवं भत्तों के संबंध में गठित एकल सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के पैरा 10.29 में दी गई सिफारिश और उक्त समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संदर्भ में इस कार्यालय के का.ज्ञा. सं. 17-31/2016-जीडीएस दिनांक 25.06.2018 का संदर्भ देने का निदेश हुआ है।

(i) डाक विभाग के का.ज्ञा. सं. 17-31/2016-जीडीएस दिनांक 25.06.2018 के पैरा 2.1 के अनुसार, सभी ग्रामीण डाक सेवकों (बीपीएम/एबीपीएम) के कार्यघंटों को टीआरसीए स्लैब के आधार पर संशोधित कर 4 घंटे और 5 घंटे कर दिया गया है। अत:, सभी शाखा डाकघरों की कार्यावधि को संशोधित कर न्यूनतम 4 घंटे और अधिकतम 5 घंटे किया जाना है।

(ii) इसके अतिरिक्त, सभी जीडीएस शाखा डाकघर बीपीएम के टीआरसीए स्लैब के अनुरूप क्रमश: 4 घंटे और 5 घंटे के लिए खुले रहेंगे और कार्य करेंगे।

(iii) अत:, सभी सर्कल अध्यक्षों से अनुरोध है कि सभी शाखा डाकघरों की कार्यावधि में उपयुक्त संशोधन कर अनुपालन रिपोर्ट, 30.08.2019 तक अथवा उससे पहले निदेशालय को भेजे जाना सुनिश्चित करें।

(एस.बी.व्यवहारे)

सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी)

टेलीफोन नं. 011-23096629

ई-मेल : adggds@indiapost.gov.in